To Declare Siwan Village as Municipal Committee

- 280 SHRI ISHWAR SINGH, M.L.A.: Will the Urban Local Bodies

 Minister be pleased to state:-
 - a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to declare village Siwan as Municipal Committee; and
 - b) If so, the time by which it is likely to be declared togetherwith the details thereof?

ANIL VIJ, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

Yes, Sir.

Preliminary notification to declare Siwan village as Municipal Committee has already been issued vide No.52/3/2021-5C1, dated 23.02.2021 for inviting objections or suggestions, if any, through the Deputy Commissioner, Kaithal within a period of six weeks from the date of publication of this notification in the official Gazette as per the provisions of Section 3 of the Haryana Municipal Act, 1973. After expiry of prescribed period and receipt of report from Deputy Commissioner, Kaithal regarding objections or suggestions, further necessary action for issuing the final notification in this regard is to be taken by the Government.

सीवन गांव को नगर पालिका समिति के रूप में घोषित करना

- 280. श्री **ईश्वर सिंह, एम.एल.ए.** : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएगें कि :
 - (क) क्या गांव सीवन को नगरपालिका समिति के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा
 - (ख) यदि हां, तो इसके कब तक घोषित किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री

हां, श्रीमान जी।

हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा—3 में वर्णित प्रावधानों अनुसार, गांव सीवन को नगर पालिका घोषित करने के सम्बन्ध में, आपित्तयां या सुझाव, यदि कोई है, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह सप्ताह की अविध में उपायुक्त, कैथल के माध्यम से आमिन्त्रित करने के लिए प्राथिमक अधिसूचना संख्या 52/3/2021—5क1, दिनांक 23.02.2021 जारी की गई है। निर्धारित समयाविध की समाप्ति उपरान्त उपायुक्त, कैथल से आपित्तयों या सुझावों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार द्वारा इस बारे अन्तिम अधिसूचना जारी करने के लिए आगामी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।